



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 931 का नवीकरण/
Renewal of Type Approval No. 931

विषय/Sub: कपल्ड कैविटी ट्रेवलिंग वेव ट्यूब (सीसीटीडब्ल्यूटी) टाइप बीसीसीटी2000एक्स
Coupled Cavity Travelling Wave Tube (CCTWT) Type BCCT2000X

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स थाम्सन ट्यूब्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रांस द्वारा मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, माइक्रोवेव ट्यूब प्रभाग, बेंगलूरु - 560 013 से प्राप्त लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादित "कपल्ड कैविटी ट्रेवलिंग वेव ट्यूब (सीसीटीडब्ल्यूटी)" टाइप बीसीसीटी2000एक्स को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/एफ195/टीए-931, दिनांक 10 दिसंबर 2001, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 931 जारी किया गया और तदुपरान्त संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-931/2आर, दिनांक 09 दिसंबर 2010 द्वारा नवीकरण किया गया था जो कि 30 जून 2015 तक वैध था।

This is to state that the "Coupled Cavity Travelling Wave Tube (CCTWT)" Type BCCT2000X Manufactured under license by M/s. Bharat Electronics Limited, Microwave Tube Division, Bengaluru - 560 013, through M/s. Thomson Tubes Electroniques, France was issued with Type Approval No. 931 vide Ref. No. CEMILAC/5070/F195/TA-931, Dated: 10th December 2001 and was subsequently Renewed vide Ref. No. CEMILAC/ 5070/ TA-931/2R, Dated: 09th September 2010 which was valid upto 30th June 2015.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए.(वायुयान), सेमिलैक, मारतहल्ली पी.ओ. बेंगलूरु - 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st February 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-931/3R

दिनांक/Date : 17th February 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(गंतायत गौड़ वै. 'जी'/G. Gouda, Sc. 'G')
स्थानामन्त मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg.Chief Executive (Airworthiness)